पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार
दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन
किया।

सुना गया। वास्ते निर्णय व उचित आदेशार्थ
बाबत पत्रावली दिनांक ।3.3.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया
एवं पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन
किया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट सही
होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है।
फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया।
फैसला शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली व फैसला
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर
से कम हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

वाद संख्या :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

:— 80 / 2022

शीर्षक

1. गोमती देवी पत्नी भोलाराम जाति कुमावत निवासी ढाणी नई कोठी ग्राम रावपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

— वादीया

बनाम

1. जयराम
2. भगवान सहाय
3. रामदेव
4. रामनारायण उर्फ गोकुल

} पुत्रान गोमाराम

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी भोमिया जी के मंदिर के पास गढवालो की ढाणी, ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

5. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/3/2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 नं0 699 / 0.03, 700 / 0.02, 701 / 2.44 कुल किता 03 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि वाकै ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। आराजीयात भूमि का वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है ओर वादी व प्रतिवादीगण ने मनबंट बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया ने पूर्व खातेदार श्रीमती धापा देवी पत्नी प्रेमचन्द कुमावत से जरिये विक्रय पत्र आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व खरीद कर लिया था जिसके अनुसार जिमन नंबर 1 मे वर्णित भूमि में वादीया का दक्षिण भाग में कब्जा है व इसी अनुसार भूमि का बेचान किया गया है। उक्त भूमि में शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 उत्तर साईड में स्थित है तथा खरीद समय से ही वादीया उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उसने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीया को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाउ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा है। आज से सप्ताह भर पूर्व वादीया अपनी भूमि की देख रेख कर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

रही थी तो प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की बाते कर रहे थे तो वादीया ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त भूमि का आज तक कानूनी बंटवारा नही हुआ तथा जब तक कानूनी बंटवारा नही होता है। तब तक आप इस भूमि का किसी को बेचान नही कर सकते है। इस पर प्रतिवादीगण अचानक भड़क गये तथा वादीया को एलानिया कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेंगे यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा बिना बंटवारे के आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर दिया तो वादीया के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा और अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार की धनराशि के रूप में नही की जा सकेगी और पक्षकारो के मध्य आपस मे मुकदमे बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल ख0 नं0 699/0.03, 700/0.02, 701/2.44 कुल किता 03 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि वाके ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 04 के मध्य राजस्व नियमावली के अनुसार विधिवत तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर व वाद पत्र में अंकित वादीया की पूर्व खातेदार श्रीमती धापा देवी पत्नी प्रेमचन्द कुमावत से जरिये विक्रय पत्र आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व खरीद कर लिया था जिसके अनुसार जिमन नंबर 1 में वर्णित भूमि में वादीया का दक्षिण भाग में कब्जा है व इसी अनुसार भूमि का बेचान किया गया है। उक्त भूमि में शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 उत्तर साईड में स्थित है तथा खरीद समय से ही वादीया उक्त खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है तथा मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारो के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जोवे कि वे वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 लगा0 04 की ओर से अधिवक्ता हजारी प्रसाद मीणा ने अण्डरटेकिंग दी एवं दिनांक 18.01.2023 को वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश नहीं करते हुए प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया तथा वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान दी । वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष प्रकरण में प्राथमिक डिक्री मंगवाये जाने हेतु सहमत होने से प्रकरण में दिनांक 18.01.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार तहसील शाहपुरा को बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक /भूअ/2023/1255 दिनांक 12.04.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमने बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। बंटवारा रिपोर्ट हेतु

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसीलदार तहसील शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु बंटवारा रिपोर्ट पर तहसीलदार शाहपुरा के हस्ताक्षर नही होने से जाहिर होता है कि बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नही बनाई गई है। अतः दिनांक 28.08.2023 तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पुनः बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक /भूअ/2024/728 दिनांक 07.02.2024 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष ने बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष सहमत है और कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर उक्त वाद पत्र को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 699/0.03, 700/0.02, 701/2.44 कुल किता 03 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि वाकै ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. गोमती देवी पत्नी भोलाराम जाति कुमावत सा0 देह खातेदार राहिन ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया के हिस्से में आराजी ख0 न0 699/0.03, 700/0.02, 701/1/1.1950 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2450 है0 भूमि रहेगी।
2. जयराम, भगवान सहाय, रामदेव, रामनारायण उर्फ गोकुल पुत्रान गोमाराम जाति जाट राहिन ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया के हिस्से में आराजी ख0 न0 701/2/1.2450 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 80 / 2022

शीर्षक

1. गोमती देवी पत्नी भोलाराम जाति कुमावत निवासी ढाणी नई कोठी ग्राम रावपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

– वादीया

बनाम

1. जयराम
2. भगवान सहाय
3. रामदेव
4. रामनारायण उर्फ गोकुल

} पुत्रान गोमाराम

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी भोमिया जी के मंदिर के पास गढवालो की ढाणी, ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा जयपुर राज0

5. राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/3/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल ख0 नं0 699 / 0.03, 700 / 0.02, 701 / 2.44 कुल किता 03 कुल रकबा 2.49 है0 भूमि वाकै ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. गोमती देवी पत्नी भोलाराम जाति कुमावत सा0 देह खातेदार राहिन ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया के हिस्से में आराजी ख0 न0 699 / 0.03, 700 / 0.02, 701 / 1 / 1.1950 कुल किता 3 कुल रकबा 1.2450 है0 भूमि रहेगी।

2. जयराम, भगवान सहाय, रामदेव, रामनारायण उर्फ गोकुल पुत्रान गोमाराम जाति जाट राहिन ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया के हिस्से में आराजी ख0 न0 701 / 2 / 1.2450 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 15/3/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.